

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक 36/2011	विक्रम संवत् 2068	11(शु0) आश्विन 1933 (शा0) जमशेदपुर, शुक्रवार, 07/10/11
विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग का अधिघोषणा।		
विषय सूची 1. भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिघोषणा।		पृष्ठ संख्या 01-31

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -636

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**मुटरखान**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- **369**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 49 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **मुटरखान**, थाना नं0-**369** के भीतर भूमि का **10** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **2.69** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-14, 13, 36, 25, 24, 28, 60, 61, 59 एवं 58

चौहदी

उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा -देवता नाला, थाना नं0- 373

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-58 एवं संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -डोमरो, थाना नं0- 374

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-14, 13, 36, 25, 24, 28, 60, 59 एवं 58

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-14, 13, 36, 25, 24, 28, 60, 61, 59 एवं 58

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

लगातार-2

(2)

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 636

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -637

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**दिधी चादर नं0-2**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- **346**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 57 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **दिधी चादर नं0-2**, थाना नं0-**346** के भीतर भूमि का **22** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **4.10** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

लगातार-3

(3)

ओ0 आर0 57 ए0 लघु नहर निर्माण हेतु
अर्जित रकबा – 2.19 एकड़

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-726, 727, 729, 733, 970, 968,972,975,974 एवं 973

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-726, 727, 729, 733, 970, 968, 972, 975, 974 एवं 973

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-975, 974 एवं 973 एवं संयुक्त सीमा रेखा ग्राम –सिन्दुरगौरी,
थाना नं0- 349

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-726, 727, 729, 733, 970, 968, 972 एवं 975 तथा संयुक्त
सीमा रेखा ग्राम –चैठा, थाना नं0- 353

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-726 एवं मिलान चादर नं0-

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या- 730 का रकबा 0.82 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर
दिया गया है।

अर्जित रकबा –0.52 एकड़

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-698, 697, 695 एवं 663

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-698, 697, 695 एवं 663

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-663

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-698, 697, 695 एवं 663

पश्चिम :- मिलान चादर नं0-1

अर्जित रकबा –1.05 एकड़

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-471, 469, 470, 467, 466, 459 एवं 450

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-471, 469, 470, 467, 466, 459 एवं 450

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-750 एवं संयुक्त सीमा रेखा ग्राम –अमलागुड़ा, थाना नं0- 347

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-471, 469, 470, 467, 466, 459 एवं 450

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-471 एवं मिलान चादर नं0-1

लगातार-4

(4)

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या- आर0 एफ0 का रकबा 2.15 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

अर्जित रकबा -0.34 एकड़

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-971

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-917

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-917 एवं संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -सिन्दुरगौरी, थाना नं0- 349

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-917, एवं संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -सिन्दुरगौरी, थाना नं0- 349

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-917

नोट :- अनावाद झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या-916 क रकबा 0.08 एकड़ एवं वनभूमि का खेसरा संख्या- 955 का रकबा 0.26 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार-5

(5)

ज्ञापांक 637

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -638

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**कोकपाड़ा नरसिंहगढ-II**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- **193**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 47 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम-**कोकपाड़ा नरसिंहगढ-II**, थाना नं0-**193** के भीतर भूमि का **26** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **4.43** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरो की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या- 606, 607, 598, 712, 776, 775, तथा अंश खेसरा संख्या-603, 605, 596, 608, 600, 597, 599, 613, 549, 698, 700, 711, 788, 714, 723, 772, 773, 774, 777 एवं 601

चौहदी खण्ड-"क"

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-723, 724, 771, 772, एवं 777

दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -पटनायकशोल, थाना नं0- 392

पूरब :- अंश खेसरा संख्या- 723, 724, 771, 772, एवं 777

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-774, 773, 772, 771, 724, 720, 713, 714, 788 एवं 711

लगातार-6

(6)

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या-604, 721, 713, 722, 724, 779 क रकबा 2.93 एकड़ एवं वनभूमि का खेसरा संख्या- 611, 619, 697 का रकबा 4.93 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 638

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार-7

(7)

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -639

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**कदमबेड़ा**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- **423**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात ओ0 आर0 47 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **कदमबेड़ा**, थाना नं0-**423** के भीतर भूमि का **13** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **3.91** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरा की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या- 43 तथा अंश खेसरा संख्या-9, 35, 34, 33, 38, 37, 39, 42, 45, 44, 47 एवं 49

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-25, 34, 37, 38, 42, 45, 44, 47, 48 एवं 49।

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-49, 48, 44, 43, 42, 39, 33, 34, 35 एवं 9

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -मानिकबेड़ा, थाना नं0- 421

पश्चिम :- सरहनशोल, थाना नं0-424

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या-48 का रकबा 0.20 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

लगातार-8

(8)

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 639 / जमशेदपुर, दिनांक 12.09.2011
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -640 /

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मालकुण्डी, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- 215, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 47 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- मालकुण्डी, थाना नं0-215 के भीतर भूमि का 49 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 9.21 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरो की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

लगातार-9

(9)

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या—328, 329, 333, 334, 337, 336, 338, 339, 568, 567, 566, 569, 570, 565, 564, 563, 562, 559, 558, 557, 556, 555, 197, 198, 196, 199, 191, 200, 189, 190, 182, 181, 75, 180, 178, 179, 130, 127, 128, 129, 124, 123, 122, 121, 119, 120, 108, 107 एवं 100

चौहदी खण्ड – “क”

उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम –पाथरघाटी, थाना नं0—216

दक्षिण :- वनभूमि का खेसरा संख्या—आर0 एफ0

पूरब :- वनभूमि का खेसरा संख्या—आर0 एफ0

पश्चिम :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम –पाथरघाटी, थाना नं0—216

चौहदी खण्ड – “ख”

उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम –पाथरघाटी, थाना नं0—216

दक्षिण :- वनभूमि का खेसरा संख्या—आर0 एफ0

पूरब :- अंश खेसरा संख्या—332, 328, 329, 333, 334, 337, आर0 एफ0

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या— आर0 एफ0 332,340,339,338, 336, 334, 333, 329 एवं 328

चौहदी खण्ड – “ग”

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—568, 567, 566, 565, 562, 559, 558, 557, 556, 195, 198, 200, 189, 182, 181, 75, 180, 179, 130, 127, 124, 125, 122, 121, 119, 120, 108, 107, 100, 99 एवं आर0 एफ0

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या— आर0 एफ0 568, 570, 569, 564, 563, 575, 577, 195, 197, 196, 199, 191, 190, 182, 181, 180, 178, 130, 128, 129, 124, 125, 122, 121, 120, 108, 107, 99 एवं आर0 एफ0

पूरब :- अंश खेसरा संख्या— आर0 एफ0

पश्चिम :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम –मधुपुर , थाना नं0—214

(10)

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या - आर एफ का रकबा 4.20 एकड़ तथा अनावार झारखण्ड सरकार का खेसरा संख्या-332, 340, 573, 195 एवं 99 का रकबा 1.75 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 640 / जमशेदपुर, दिनांक 12.09.2011
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -641 /

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मानिकबेड़ा, परगना, थाना - घाटशिला, थाना नं० - 421, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 47 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर

लगातार-11

(11)

सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— **मानिकबेड़ा**, थाना नं०—**421** के भीतर भूमि का **19** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **2.49** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरा की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या — 156, 215 एवं अंश खेसरा संख्या—180, 181, 150, 157, 155, 154, 151, 140, 141, 143, 142, 211, 213, 216, 214, 212 एवं 229

चौहदी खण्ड — “क”

उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम —कदमबेड़ा, थाना नं०—423

दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम —चौइरा, थाना नं०—420

पूरब :- अंश खेसरा संख्या—आर० एफ० 181,150,140,141,143, 142, 211, 212, 213 एवं 229

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या — 229, 213, 214, 216, 217, 140, 151, 154, 156, 157, 182, 180 एवं आर० एफ०

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार का खेसरा संख्या—165 एवं 182 का रकबा 0.12 एकड़ तथा वन भूमि का खेसरा संख्या — आर० एफ० एवं 213 का रकबा 2.83 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू—अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा — 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा —3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, सं०—1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/—

विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार—12

(12)

ज्ञापांक 641

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भु-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -642

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-दुधचुआ, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- 174, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 47 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- दुधचुआ, थाना नं0-174 के भीतर भूमि का 40 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 7.26 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरा की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या - 242, 237 एवं अंश खेसरा संख्या-105, 107, 115, 114, 116, 117, 99, 119, 118, 128, 127, 134, 135, 133, 140, 139, 141, 142, 143, 200, 207,208,210,247,211,197,196,195, 193, 194, 184, 183, 181, 182, 175, 176, 177 एवं 174

चौहदी खण्ड - "क"

उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -रूआशोल, थाना नं0-175

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-247 एव 210

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-105,107,115,114,116,117,118,128,133,140,141,200,207 एवं 247

लगातार-13

(13)

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या - 210, 208, 207, 143, 139, 135, 134, 127, 119, 99, 116, 115, 107 एवं 105

चौहदी खण्ड - "ख"

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-210, 211, 197, 196, 193, 184 एवं 185

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-247, 210, 211, 197, 195 194 एवं 181

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-210 एवं संयुक्त सिमारेखा ग्राम-कोकपाड़ा नरसिंहगढ़ थाना नं0-173

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या - 182 एवं 167 तथा पूर्ण खेसरा संख्या-212 एवं 214

चौहदी खण्ड - "ग"

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-181, 182 एवं 167

दक्षिण :- संयुक्त सिमारेखा ग्राम-कोकपाड़ा नरसिंहगढ़ थाना नं0-173

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-182, 176, 177, 229 एवं 170

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या - 170, 229, 174, 175, 168 एवं 167

नोट :- वन भूमि का खेसरा संख्या -167, 170 का रकबा 1.13 एकड़ तथा अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या-168, 229 का रकबा 0.18 एकड़ तथा भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार-14

(14)

ज्ञापांक 642

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भु-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -643

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-काँटावनी-II, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- 375, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात ओ0 आर0 48 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- काँटावनी-II, थाना नं0-375 के भीतर भूमि का 14 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 1.84 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरा की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-176, 177, 178, 174, 172, 339, 8, 304, 305, 306, 3011, 307, 342 एवं 173

चौहदी खण्ड - "क"

उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -कुचियाकनाली, थाना नं0-379

दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -मुक्तापुर, थाना नं0-433

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-176, 177, 178, 173, 339, 172, आर0 एफ0

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या - आर0 एफ0 172, 174, 178, 177 एवं 176

लगातार-15

(15)

चौहदी खण्ड – “ख”

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-340, 305, 306, 311 एवं 307

दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम –मुक्तापुर, थाना नं0-433

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-340, 308, 306, 311 एवं 307

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या – 306, 305, 306, 311 एवं 307

नोट :- वन भूमि का खेसरा संख्या –आर0 एफ0 का रकबा 5.66 एकड़ तथा अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या-9, 55, 340 का रकबा 0.48 एकड़ तथा भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू –अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा – 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा –3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 643

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार-16

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -644

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कुटरापाड़ा, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 434, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 48 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- कुटरापाड़ा, थाना नं०-434 के भीतर भूमि का 8 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 1.60 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरा की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-256, 257, 258, 264, 263, 268, 272 एवं 275

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-256, 257, 258, 264 एवं 263

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-275, 264, 257, 258, 256

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-263, 268, 272 एवं 275 तथा पुर्ण खेसरा संख्या-269

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या - 275, 272, 268, 263 एवं संयुक्त सीमारेखा ग्राम-मुक्तापुर, थाना नं०-493 ।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

लगातार-17

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा ।

ह/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर ।

ह/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

ज्ञापांक 644

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर ।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -645

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मुक्तापुर, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 433, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 48 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- मुक्तापुर थाना नं०-433 के भीतर भूमि का 5 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 0.89 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरो की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-24, 26, 27, 29 एवं 30

लगातार-18

चौहदी खण्ड "क"

उत्तर :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-काटौवनी, थाना नं0-375।

दक्षिण :- वनभूमि पी0 एफ0

पूरब :- वनभूमि पी0 एफ0

पश्चिम :- वनभूमि पी0 एफ0

चौहदी खण्ड "ख"

उत्तर :- वनभूमि का खेसरा -पी0 एफ0

दक्षिण :- वनभूमि का खेसरा -पी0 एफ0

पूरब :-काटौवनी, थाना नं0-375।

पश्चिम :- वनभूमि का खेसरा- पी0 एफ0

चौहदी खण्ड "ग"

उत्तर :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-काटौवनी, थाना नं0-375

दक्षिण :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-टुकरापाड़ा, थाना नं0-434

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-26, 27, 29 एवं 30

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या - 30, 29, 27, एवं 26

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या-1 का रकबा 2.71 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

लगातार-19

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा ।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर ।

ह०/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

ज्ञापांक 645

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर ।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -646

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-काँटावनी-I, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 225, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 48 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- काँटावनी-I, थाना नं०-225,के भीतर भूमि का 46 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 6.58 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-160,157,161,186,322,324,321,327,328,314,288,460, 461,462,432,463,494, 495, 491, 497, 498, 518, 853, 849, 852, 848, 847, 845, 843, 773, 776, 777, 780, 784, 785, 782, 761, 753, 752, 749, 748, 672, 671, 673, 681, एवं 682

लगातार-20

चौहदी

उत्तर :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-मोटयाबान्दी, थाना नं0-208

दक्षिण :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-नरसिंहपुर, , थाना नं0-223

पूरब :- अंश खेसरा सख्या-156, 157, 161, 186, 322, 331, 314, 462, 463, 494, 495, 491, 518, 853, 852, 848, 847, 845, 843, 842, 773, 776, 777, 784, 785, 782, 781, 761, 753, 748, 672, 613, 681 एवं 681

पश्चिम :- अंश खेसरा सख्या-682, 681, 673, 671, 749, 752, 761, 781, 480, 777, 776, 773, 772, 843, 845, 848, 849, 518, 498, 496, 495, 494, 432, 461, 460, 228, 314, 328, 321, 186, 161 एवं 160

नोट :- आनावाद झारखंड सरकार के भूमि का खेसरा संख्या-156, 842, 772 एवं 781 का रकबा 0.20 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 646

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार-21

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -647

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**कुचियाकनाली** परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 379, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 48 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- कुचियाकनाली, थाना नं०-**379**,के भीतर भूमि का **27** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **2.67** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरो की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-1,691, 223, 9, 10, 17, 18, 27, 28, 180, 207, 206, 201, 200, 199, 198, 159, 158, 157, 156, 54, 53, 52, 45, 46, 44 एवं 43

चौहदी खण्ड क

उत्तर :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-पुन्दा, थाना नं०-300

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-208

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-28, 27, 18, 17, 10, 9, 224, 1 एवं पूर्ण खेसरा संख्या 28

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-28, 27, 18, 17, 10, 9, 224, 1 एवं पूर्ण खेसरा संख्या 28

खण्ड-ख

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-208, 207, 206, 199, 198, 197, 196, 111, 684, 159 एवं 158

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-158, 159, 684, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 180 एवं 208

पूरब :- अंश खेसरा संख्या- अंश खेसरा संख्या-208, 207, 206, 199, 198, 197, 196, 111, 684, 159 एवं 158

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-158,159,684,196,197,198,199,200,201,206,180 एवं 208

लगातार-22

खण्ड—ग

उत्तर :- अंश खेसरा सख्या-208

दक्षिण :- अंश खेसरा सख्या-55

पूरब :- अंश खेसरा सख्या-159, 158, 157, 156 एवं 55

पश्चिम :- अंश खेसरा सख्या-55, 156, 157, 158 एवं 159

खण्ड—घ

उत्तर :- अंश खेसरा सख्या-53, 52, 45, 46, 44 एवं 43

दक्षिण :- अंश खेसरा सख्या-55, 54, 53, 52, 45, 44 एवं 43

पूरब :- अंश खेसरा सख्या-55

पश्चिम :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम-कांटाबनी, थाना नं-375

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या-648, 55 का रकबा-4.26 तथा आनावाद झारखण्ड सरकार का खेसरा सख्या-689, 225, 224, 209, 208, 297 एवं 196 का रकबा-3.13 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार-23

ज्ञापांक 647

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भु-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -648

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-धानधरी, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- 219, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 48 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- धानधरी, थाना नं0-219,के भीतर भूमि का 18 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 3.57 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरो की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-11, 12, 10, 9, 5, 6, 7, 8, 45, 48, 744, 335, 336, 351, 352, 353, 356 एवं 358

चौहदी खण्ड क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-1, 8, 7, 6, 5, 9 एवं 10

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-12, 5, 9, 6, 8 एवं 45

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम-जयपुर, थाना नं-218

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-745 एवं 1

लगातार-24

खण्ड—ख

उत्तर :- अंश खेसरा सख्या-45 एवं 1

दक्षिण :- अंश खेसरा सख्या-353

पूरब :- अंश खेसरा सख्या- 45, 745, 46, 47, 1, 48, 747, 744, 749, 335, 336, 751, 352
एवं 353

पश्चिम :- अंश खेसरा सख्या-353, 751, 334, 335, 744, 747, 1, 46 एवं 745

खण्ड—ग

उत्तर :- अंश खेसरा सख्या-356, 357, 358 एवं 361

दक्षिण :- अंश खेसरा सख्या-356, 357, 358 एवं 361

पूरब :- अंश खेसरा सख्या-352

पश्चिम :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम-पुन्दा, थाना नं-380

नोट :-वनभूमि का खेसरा संख्या-749, 361 का रकबा-2.19 एकड़ एवं झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा सख्या-745, 46, 747, 751, 357 एवं 359 का रकबा-1.20 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार-25

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / -

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -649

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**माटियाबान्दी-II**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- **208**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 48 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **माटियाबान्दी-II**, थाना नं0-**208**,के भीतर भूमि का **17** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **2.39** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-1829, 1827, 1830, 1831, 1863, 1866, 1864, 1862, 1868, 1860, 1896, 1837, 1899, 2154, 1890, 2008 एवं 2007

चौहदी

उत्तर :- पूर्व मे नहर के लिए अर्जित भूमि

दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम-काँटावनी, थाना नं-225

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-1827, 1830, 1866, 1865, 1868, 1896, 1892, 1891 एवं 2007

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-2008,2006,1998,2154,1897,1860,1866,1863,1831, 1830 एवं 1829

लगातार-26

नोट :-अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा सख्या-1865, 1898, 1892, 1891, 2006 का रकबा-0.21 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 649

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -650

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-जयपुर परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 218, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

लगातार-27

अर्थात् ओ0 आर0 48 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्ववत् ग्राम— **जयपुर**, थाना नं0—**218**, के भीतर भूमि का **43** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **7.13** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरा की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या — 132, 111, 106, 161, तथा अंश खेसरा संख्या—130, 131, 128, 126, 133, 136, 137, 138, 112, 108, 110, 109, 103, 104, 105, 142, 143, 144, 145, 77, 146, 147, 159, 158, 269, 267, 268, 257, 258, 256, 243, 244, 226, 224, 223, 220, 219, 214 एवं 211

चौहदी खण्ड—क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—142, 105, 104, 103, 109, 110, 112, 126, 128 एवं 130

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—130, 129, 133, 136, 137, 138, 112, 108, 107, 142,

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम—224

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या—142

चौहदी खण्ड—ख

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—142

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—257 एवं 268

पूरब :- अंश खेसरा संख्या—144, 145, 146, 147, 158, 169, 257 एवं 256

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या—256, 258, 257, 268, 267, 269, 159, 147, 146, 161, 162, 76, 77, 145, 143 तथा पूर्ण खेसरा संख्या—78

चौहदी खण्ड—ग

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—256

दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम—धानधरी, थाना नं—219

पूरब :- अंश खेसरा संख्या—257, 268, 226, 223, 220, 219 एवं 214

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या—211, 214, 219, 220, 223, 224, 226 एवं 268

नोट :-अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या—197, 76, 162 का रकबा—0.13 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

लगातार—28

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 650

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -651

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-पुन्दा परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 380, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 48 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ

लगातार-29

पूर्वक्त ग्राम— पुन्दा, थाना नं०—380, के भीतर भूमि का 13 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 2.33 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरा की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या — 494, तथा अंश खेसरा संख्या—160, 156, 161, 495, 225, 227, 228, 446, 445, 454, 455 एवं 221

चौहदी खण्ड—क

उत्तर :-अर्जित अंश खेसरा संख्या— आर० एफ० एवं ग्राम मालकुन्डी, थाना नं०—215

दक्षिण :- अर्जित अंश खेसरा संख्या— आर० एफ०

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम—धनधरी, थाना नं०—219

पश्चिम :- अर्जित अंश खेसरा संख्या—आर० एफ०

चौहदी खण्ड—ख

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—449

दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम—कुचियाकनाली, थाना नं०—379

पूरब :- अंश खेसरा संख्या — आर० एफ० 160, 156, 161, 495, 227, 495, 227, 446, 445, 453, 454 एवं 455

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या—455, 445, 228, 227, 495, 225, 221, 161, 160, 449, तथा पूर्ण खेसरा संख्या—162

नोट :-वनभूमि का खेसरा संख्या—आर० एफ० 449 का रकबा—3.23 एकड़ एवं झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या—453 का रकबा—0.34 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू —अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा — 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा —3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

लगातार—30

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा ।

ह० / -

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह० / -

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 651

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह० / -

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -652

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**सिन्दरा** परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- **224**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 48 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- सिन्दरा, थाना नं०-**224**, के भीतर भूमि का **27** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **5.74** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या - 176, 175, तथा अंश खेसरा संख्या-177, 178, 179, 173, 174, 156, 172, 157, 158, 159, 126, 150, 129, 130, 132, 120, 119, 20, 21, 19, 133, 16, 17, 28 एवं 27

लगातार-31

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 28, 17, 16, 133, 132, 130, 150, 126, 159, 158, 157, 172, 156, 173, 174, 175 एवं 177

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या- 179, 173, 172, 157, 158, 159, 126, 129, 120, 119, 20, 21, 18, 28, 27

पूरब :- संयूक्त सीमा रेखा ग्राम-नरसिंहपुर, थाना नं0-223

पश्चिम :- संयूक्त सीमा रेखा ग्राम-जयपुर, थाना नं0-218

नोट :-अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या-18 का रकबा-0.11 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 652

/

जमशेदपुर,

दिनांक 12.09.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।